

फर्द अहकाम

25/8/25 आज यह पत्रावली वकील कादीगण के प्राथमिक पत्र पर तलब की गई। प्राथमिक पत्र में अंकित किया है कि पक्षकारों को प्रत्येक राजीनामा हो जाना है। इसलिए पक्षकारों अब मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। इसलिए पत्रावली के आगामी दिनांक 29/9/25 पर तलब फरमाई जाकर Not Present में खारिज किया जाएगा।

हमने वकील कादीगण को इसमें प्राथमिक पत्र पर एकतरफा में सुनाया गया जब पत्रावली का अन्वेषण किया। प्राथमिक/कादीगण का प्राथमिक पत्र स्वीकार किया जाकर मुक नं 97/2024 अनवानी अखिल सरदार v/s मुं सितारा वगैरे दावा वाकल तकासमा एवं स्थायी निवेधाज्ञा को Not Present में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमाए होकर वाड वकमील नम्बरे से कम की जाकर प्राथमिक दफतर हो।

कोर्ट के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (काली)